"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2026 — पौष 12, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्र.–17 / 3135 / 21–ब / छ.ग. / 2026.— छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016 के नियम 1 एवं नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 29–01–2016 से छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम 2016 लागू करता है तथा विवाह के पंजीयन के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 में प्राधिकृत अधिकारी को छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम 2016 के लिये प्राधिकृत करता है।

No. -17/3135/XXI-B/C.G./2025.— In exercise of the powers conferred under Rule 1 and Rule 3 of the Chhattisgarh Anand Marriages Registration Rules, 2016, the State Government, hereby, appoints 29-01-2016 as the date on which the Chhattisgarh Anand Marriages Registration Rules, 2016 shall come into force in the State of Chhattisgarh and officers authorized under "the Chhattisgarh Compulsory Registration of Marriages Rules, 2006" are hereby authorized for registration of marriages under Chhattisgarh Anand Marriages Registration Rules, 2016.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.